हिमाचल प्रदेश सरकार

सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग

संख्या एस0जे0ई0–बी–बी–(2)–2/2012 तारीख शिमला–02 5–2–2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण निदेशालय में संयुक्त निदेशक वर्ग–1 (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–''क '' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते है, अर्थातः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अनुसूचितजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक और विशेष रूप से सशक्तिकरण निदेशालय, संयुक्त निदेशक वर्ग–1 (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

निरसन और व्यावृतियॉं

2. (1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या एस0जे0ई–बी0–बी0 (2)–2/2002 तारिख 16 अप्रैल 2013 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, अनुसूचितजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक और विशेष रूप से सशक्तिकरण निदेशालय, संयुक्त निदेशक वर्ग–1 (राजपत्रित) भर्ती एंव प्रोन्नति नियम 2013 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

हस्ता/–

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा0न्याय एंव अधि0)
हिमाचल प्रदेश, सरकार ।

उपाबन्ध–''क ''

हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, अनुसूचितजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण में संयुक्त निदेशक वर्ग–1 (राजपत्रित) (सोमसा)के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1	पद का नामः	संयुक्त निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण।
2	पद (पदों) की संख्या	01 (एक)
3	वर्गीकरण	वर्ग–1 (राजपत्रित)
4	वेतनमान	₹ 15600–39100 + ₹ 6600
5	चयन पद अथवा अचयन पद।	चयन ।
6	सीधी भर्ती के लिए आयु	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक ओर अन्य अर्हताऐंः	(क) अनिवार्य अर्हता (ए) लागू नहीं (ख) वांछनीय अर्हता (ए) लागू नहीं
8	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताए प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	आयु : लागू नहीं शैक्षिक अर्हता (एं) : लागू नहीं
9	. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
10	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतताः	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा
11	प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ (ग्रेड) जिन से प्रोन्नति/ सैकेण्डमैण्ट स्थानांतरण किया जाएगा।	उप निदेशक, अनुसूचितजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण में से प्रोन्नति द्वारा जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को

सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवा काल हो ऐसा न होने पर उपनिदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण और जिला कल्याण अधिकारी के रूप मे सयुक्ततः उप निदेशक अनुसूचितजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण में से प्रोन्नति द्वारा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई है को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें उपनिदेशक अनुसूचितजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग , अल्प संख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी।

(I) प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु उपरोक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नही होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामलों में लागू नही होगीः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों / कर्मचारियों को, जिन्होने जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नही की है, ऐसे क्षेत्रों में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थान्तरण किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण I – उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रायोजन के लिए जनजातीय/कठिन/र्दुगम क्षेत्रों और दूरस्थ/ ग्रामीण क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधरणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अत्यावश्कताओं/सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगीः

स्पष्टीकरण II – उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रायोजन के लिए जनजातीय/कठिन र्दुगम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः'–

1.जिला लाहौल एवं स्पिति ।

2.चम्बा जिला का पार्गी और भरमौर उप–मण्डल ।

3.रोहड़ू उप–मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।

4.जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना,मुनिश दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट ।

5.जिला कुल्लू पन्द्रह बीस परगना ।

6. जिला कांगडा के बैजनाथ उप–मण्डल का बडा भंगाल क्षेत्र।

7. जिला किन्नौर।

8. जिला सिरमौर में उप–मण्डल कमरुउ के काठावाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुका जी तहसील के भलाड–भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील के कोटा पाव पटवार वृत्त ।

9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल–बगडा पटवार वृत्त बाली चौकी उप–तहसील के गाडा गासाई, मठयानी, घनयाड, थाची, बागी ,सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड, कूटगड़, ग्रामन, देवगड़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह–भडवानी, हस्तपुर, घमरेड और भटेढ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ, थाच–बगडा, उतरी मगरु और दक्षिणी मगरु पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाडा पटवार वृत्त।

स्पष्टीकरण III – परन्तुक (1) के प्रायोजन के लिए दुर्गम/ग्रामीण क्षेत्र इस प्रकार से होंगें।

(i). उप–मण्डल /तहसील मुख्यालय से 20 कि0 मी0 की परिधि से परे के समस्त स्टेशन।

(ii) समस्त मुख्यालय और जिला मुख्यालयों से 15 कि0 मी0 परिधि से परे समस्त स्टेशन जहां बस सेवा उपलब्ध नही है और 3 (तीन) कि0 मी0 से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।

(iii) कर्मचारी का उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, गृह नगर या गृहनगर के साथ लगता 20 कि0मी0 की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रकिया को अपनाने के पश्चात की गई थीः

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा /नियुक्ति के अनसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहा अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उस से वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्तियों से उपर रखे जाएगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है कि कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहर्ता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा ,जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहा उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसीं प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएगे ।

स्पष्टीकरण – अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नही समझा जाएगा यदि अपात्र वरिष्ठ व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिससे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसिज) रुल्ज, 1972 के नियम –3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट टैक्नीकल सर्विसिज) रुल्ज ,1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति / प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवा काल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपर्युक्त निदिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरुप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचनाः	जैसी सरकार द्वारा समय समय पर गठित की जाए।
13	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः	लागू नहीं
15	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः	लागू नहीं
16	आरक्षणः	सेवा में नियुक्त, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़े वर्गो और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गो के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17	विभागीय परीक्षाः	सेवा के प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18	शिथिल करने की शक्तिः	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहा वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्ही उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियो) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

*****

(Authoritative English text of this department Notification No SJE-B-B(2)2/2012 dated as required under article 348(30 of the Constitution of India)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE& EMPOWERMENT-B

No.SJE-B-B(2)-2/2012 Dated:Shimla -02,the 5-2-2018.

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh, Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Joint Director, Empowerment of SCs, OBCs, Minorities and the Specially Abled, H.P., Class-I(Gazetted) in the Department of Social Justice & Empowerment, Directorate of Empowerment of SCs,OBCs,Minorities and the Specially Abled, as per Annexure "A" attached to this notification namely:-

Short title and Commencement	1(1)	These rules may be called the Himachal Pradesh Justice & Empowerment Department, Directorate of Empowerment of SCs,OBCs, Minorities and Specially Abled Joint Director-Class-I(Gazetted)Recruitment & Promotion Rules,2017
	(2)	These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra Himachal Pradesh.
Repeal and savings	2(1)	Himachal Pradesh Social Justice & Empowerment Department, Directorate of Empowerment of Schedule Caste, Other Back ward Classes and Minorities and Specially Abled, Joint Director, Class-I (Gazetted),Recruitment & Promotion Rules,2013 notified vide this Department Notification No SJE-B-B(2)-2/2012 dated 16th April,2013 are hereby repealed.
	(2)	Notwithstanding such repeal any appointment made or any thing done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) supra shall be deemed to have been validity made or taken under these rules.

By Order

Sd/-

Additional Chief Secretary (SJ&E) to the
Government of Himachal Pradesh.

Contd/--

“A”

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JOINT DIRECTOR-CLASS-I(GAZTTED)(SOMSA) IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE &EMPOWERMENT H.P.DIRECTORATE OF EMPOWERMENT OF SCHEDULED CASTES, OTHER BACKWARD CLASSES,MINORITES &THE SPECIALLY ABLED H.P.

1.	Name of Post:	Joint Director, Empowerment of Scheduled Castes, Other Backward Classes, Minorities & the Specially Abled.
2	Number of Post:	01(One)
3	Classification:	Class-I(Gazetted)
4	Scale of pay:	Rs.15600-39100+6600 GP
5	Whether selection post or Non-selection post:	Selection
6	Age for direct recruitment:	Not applicable
7	Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s):	(a)Essential Qualifications(s):Not applicable (b)Desirable Qualification(s):Not applicable
8	Where age and educational qualification(s) prescribed for direct recruits will apply in the case of the promote(s):	Age: Not applicable Educational Qualification: Not applicable
9	Period of probation ,if any:	Not applicable
10	Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:	100% by Promotion
11	In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade(s) from which promotion/secondement/transfer is to made:	By promotion from amongst the Deputy Director, Empowerment of SC,OBC, Minorities & Specially Abled having three years regular service or regular combined with continuous ad-hoc service, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Deputy Director, Empowerment of SC,OBC, Minorities & Specially Abled having five years regular service or regular combined with continuous ad-hoc service, if any combined as Deputy Director, Empowerment of SC,OBC, Minorities & Specially Abled and District Welfare Officer which shall also include essential service of 02 years as Deputy Director, Empowerment of SC,OBC, Minorities & Specially Abled.

		(1) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in Tribal/difficult Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of posts available in such areas: Provided further that the proviso(1) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion: Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre. Explanation I: For the purpose of proviso (1) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in vies the administrative exigencies/convenience. Explanation II: For the purpose of proviso (I) supra the "term" Tribal/Difficult Areas shall be as under:- 1. District Lahaul &Spiti. 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District. 3. Dodra Kawar Area for Rohru Sub Division. 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayt Kashapat of Rampur Tehsil of District Shimla. 5. Pandrah Bis prgana of Kullu District. 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District. 7. District Kinnaur. 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil,Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji tehsil and Kota Patwar Circle os Shillai tehsil in Sirmour District. 9. Khanyal-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki sub Tehsil, Jharwar, Kutgrah ,Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog. Silh- Badhwani Hstpur, Ghamrehar and Bhatehar patwar Circle of Padhar Tehsil,Chiuni, Kallpar, Mangrah, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar

		Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District. Explanation III: For the purpose of proviso(1) supra the Remote/Rural Areas shall be as under: i) All stations beyond the radius of 20 Kms. From sub Division/Tehsil headquarter. ii)All stations beyond the radius of 15 kms from State headquarter and District headquarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3(three) Kms. iii)Home town or area adjoining to area or home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category. (II) In all cases of promotion, the continuous adhoc services rendered in the feeder post, if any prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the ad hoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provision of R&P rules: (i) Provided that in all cases where a junior person become eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration: Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall process the minimum qualifying service of atleast of three years of that prescribed in the R&P rules for the post, whichever is less: Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for Promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to his shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion: EXPLANATION:-The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion is the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservations of vacancies in Himachal Pradesh State Non-technical services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or

		recruited under the provision of Rule 3 of the Ex-servicemen(Reservations of vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules 1985 and having been given the benefit of seniority there under. (ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of Recruitment& Promotion Rules: Provided that inter-se seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.
12	If a departmental promotion committee exists, what is its composition:	As may be constituted by the government from time to time
13	Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (HPPSC) is to be consulted in making recruitments:	As required under the law
14	Essential requirement for a direct recruitment:	Not applicable
15	Selection for appointment to post by direct recruitment:	Not applicable
16	Reservation:	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17	Departmental examination:	Every member of the service shall pass departmental examination as prescribed in the HP Departmental examination Rules, 1997 as amended from time to time.
18	Power of relax:	Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s)

******